आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.)मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर
/ आदेश /

आदेश कमांक / व्यय / 2018 / 29

सागर दिनांक 06./02/2018

वन मंडल अधिकारी दमोह के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 83 दिनांक 02/02/2018 द्वारा प्रस्तुत दमोह जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.30 हेक्ट. वनभूमि के बदले 55.59 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03 / नियम / चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यो में मितव्ययता बरती जांवे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांरभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा। मृदा परीक्षण अनुसार प्रजाति चयन व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / भू–सर्वे / बजट / 1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊचांई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.मं.	राशि ₹ में
1	दमोह	तेजगढ़	दिनारी	655	55.59	**1,91,34,170.00** (एक करोड़ इक्यानवे लाख चौतीस हजार एक सौ सत्तर मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-D-3 के अनुकमांक 31 पर दर्ज है।

(विकास करण वर्मा)
भा.व.से
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक / व्यय / 2018 / 765

सागर दिनांक 07./02/2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन मंडल अधिकारी दमोह की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक / मा.चि / 83 दिनांक 02/02/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रांरभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रांरभ नही कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होगें।
4. मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्नः– अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु0 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

D/Moaz/FCA/ TS